

पत्र संख्या : 7ब/4711 योज०सं०-04/12

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/देवघर/चाण्डिल कम्पलेक्स;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता, — सह-निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :- 16.6.12

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-56-बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49P471101796560544, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2012-13 में निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 4711 — बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/ 01-बाढ़ नियंत्रण,	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उप योजना/56-बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन	05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य / 49P471101796560544	331.71

आवंटित राशि — ₹ तीन करोड़ एकतीस लाख एकहत्तर हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध रु० 725.00 लाख (सात करोड़ पचीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत / अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव
Li

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

65

रॉंची, दिनांक :-

16.6.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी डोरन्डा/रॉंची/जमशेदपुर/घाटशीला/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

65

रॉंची, दिनांक :-

16.6.12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉंची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....

65

दिनांक

16.6.12

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-796-जन जातीयक्षेत्रीय उपयोगना, उप शीर्ष-56-बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य,


विपत्र कोड- 49P471101796560544

राशि लाख ₹ में

वित्तीय वर्ष 12-13 में बजट उपबंध रु. 725.00 लाख (सात करोड़ पचीस लाख) मात्र।


वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन										
क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय	पूर्व का	वर्तमान	कुल	अभ्युक्ति
							आवंटन	आवंटन	आवंटित राशि	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाये तटपर ग्राम शोभापुर के पास कटाव निरोधक कार्य।	108.70	मु०अभि०(मो०)-390/2002-09/ 2011-12 प्र०स्वी० दि० 30.04.2011	70.000	0.000	30.000	30.000	
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाये तटपर ग्राम बुधवरिया के पास कटाव निरोधक कार्य।	142.90	मु०अभि०(मो०)-390/2002-07/ 2011-12 प्र०स्वी० दि० 30.04.2011	44.730	0.000	37.280	37.280	
1	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज	देवघर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाये तट पर ग्राम शोभापुर के पास पूर्व में कराये गये कटाव निराधक कार्य का Restoration कार्य।	48.64	मु०अभि०(मो०)-390/2002-8/2011-12 प्र०स्वी० दि०30.04.2011	20.000	0.000	20.000	20.000	
			जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के बाये तट पर कपाली दायींगुट्ट, सुभाष कॉलनी में कटाव निरोधक कार्य।	208.21	1/ पी०एम०सी०/ कार्य / 114 / 03-30 / 08-09 प्र०स्वी० दिनांक 02.03.2009	180.283	0.000	30.000	30.000	
2	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल,गांगुडीह	चाँदिल कम्पलेक्स	जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के बाये तट पर कपाली नाला पर Anti Flood Sluice का निर्माण एवं गेटों के यांत्रिक कार्य सहित।	141.36	1/ पी०एम०सी०/ कार्य / 114 / 03-08 / 10-11 प्र०स्वी० दिनांक 04.06.2010	100.427	0.000	40.000	40.000	
			जमशेदपुर शहर में सुवर्णरेखा नदी पर लक्ष्मण नगर में कटाव निरोधक कार्य एवं गेटों के यांत्रिक कार्य सहित।	393.25	1/ पी०एम०सी०/ कार्य / 114 / 03-31 / 08-09 प्र०स्वी० दिनांक 02.03.2009	391.880	0.000	31.440	31.440	
3	बराज प्रमंडल,गालूडीह	चाँदिल कम्पलेक्स	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बहरागोड़ा प्रखण्ड के महुलडांगी एवं बामडोल गाँवों की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	166.75	1/ पी०एम०सी०/ कार्य / 114 / 03-29 / 08-09 प्र०स्वी० दिनांक 02.03.2009	90.500	0.000	32.990	32.990	
4	आयोजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल,जमशेदपुर	चाँदिल कम्पलेक्स	जमशेदपुर में खरकई नदी खरकई गीतांजली कम्पलेक्स के पास खरकई नदी से कटाव निरोधक कार्य	224.51	1/ पी०एम०सी०/ कार्य / 114 / 03-32 / 08-09 प्र०स्वी० दिनांक 02.03.2009	100.000	0.000	50.000	50.000	
5	सिचाई प्रमंडल, बुण्डू	रौंघी	रौंघी जिलान्तर्गत बुण्डू प्रखण्ड में काँची नदी पर नारे ग्राम अरकेया के पास कटाव निरोधक कार्य।	98.90	मु०अभि०(मो०)-390/2002-3/ 2011-12 प्र०स्वी० दि० 30.04.2013	39.300	0.000	60.000	60.000	
						योग	1037.120	0.000	331.710	331.710

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ एकतीस लाख एकहत्तर हजार मात्र।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (आभि.)


(वी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव